बिल का सारांश

बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती एवं प्रबंधन बिल, 2023

- बिहार नौकाघाट बंदोबस्ती और प्रबंधन बिल, 2023 को 28 मार्च, 2023 को बिहार विधानसभा में पेश किया गया था। यह बिल राज्य में नागू बंगाल फेरी एक्ट, 1885 को निरस्त करता है।

- सार्वजनिक नौकाघाट: नौकाघाट ऐसी सीडी को कहा जाता है जिससे किसी जलाशय में उतरा जा सकता है, और इसमें उस जलाशय से सटा तट भी शामिल है। ये सीडियां विभिन्न प्रकार के सामान से निरीक्षित होती है। नौकाघाट को आम तौर पर निम्नलिखित गतिविधियों के लिए इत्यादि किया जाता है: (i) धामचक अनुष्ठान, (ii) स्नान, (iii) नाव/नौका द्वारा सामान और सामग्री को लोड और अनलोड करना। बिल नवीन में नामित प्राधिकारी के अधीन जिला कलेक्टर के माध्यम से घोषित किया जाना है।

- टोल कलेक्शन: किसी जलाशय को पार करने के लिए व्यक्तियों, पशुओं और मवेशियों, वाहनों, सामानों और सामग्री पर टोल लगाया जाता है। टोल कलेक्टर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित टोल दर को रख सकते हैं। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए नियुक्त और परिवहन करने वालों से टोल नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा, सरकार किसी भी व्यक्ति, पशु और मवेशी, वाहन, सामान और सामग्री को टोल चुकाने से छुट्टी दे सकती है। हिंदी में लिखित या मुद्रित टोल तालिका सार्वजनिक नौकाघाट के पास दर्शित की जानी चाहिए।
सकती है।

- सजा: अगर कोई भी बंदोबस्त धारी या व्यक्ति, बंदोबस्ती के नियमों और शर्तें का उल्लंघन करता है या उन्हें नजरंदाज करता है तो वह निम्नलिखित दंड का भागी होगा: (i) तीन महीने का साधारण कारावास, (ii) 50,000 रुपए तक का जुम्ला, या (iii) बंदोबस्ती निरस्त होना, या इनमें से तीनों। इसके अतिरिक्त अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक घाट को पार करते समय, सार्वजनिक घाट के प्रबंधन और संचालन के नियमों का उल्लंघन करता है या उन्हें नजरंदाज करता है तो उसे एक महीने का साधारण कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपए तक का जुर्मना भरना पड़ सकता है, या दोनों सजाए हो सकती हैं।

- कलेक्टर को जुर्मने के खिलाफ अपील 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति कलेक्टर के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह आदेश के 30 दिनों के भीतर संभाग आयुक्त के सामने अपील दायर कर सकता है।

अंकीकरण: प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेक्सलेक्टर रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण स्पष्ट के अंतर्गत धारी या व्यक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विवरण के लिए अंतर्गत जंतु या संस्कृतिक उद्देश्य के लिए पूर्ण स्पष्ट है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विवरण के लिए अंतर्गत जंतु या संस्कृति का प्रयोग करने का हर संभावना प्रकाश रहा है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र और सुनिश्चित समूह है। रिपोर्ट का ऐसा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों से प्रस्तुत रिपोर्ट का प्रयोग नहीं हो सकता है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की दिशा में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुस्तिका की जा सकती है।